न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 21/2017

सुमेर सिंह पुत्र उगम सिंह जाति राजपूत निवासी बुगाला, तहसील नवलगढ,जिला झुन्झुनूं।
–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप, तहसील गुढ़ा, जिला झुन्झुनूं
– रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 20.12.2016
न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौडजी,
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुमेरसिंह
मु.न. 80/2016, अ. धारा 91 राज. भू. राज. अधि. 1956

उपस्थितिः–

1 .श्री विजय सिंह शेखावत, एडवोकेट ––––– ––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 03.11.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 20.12.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुमेर सिंह मु.न. 80/2016 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी दिनांक 20.12.2016 विरूद्ध कानून, न्याय व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने विवादित भूमि जो पट्टाशुदा भूमि थी जरिये इकरारनामा विक्रय दिनांक 16.4.1992 को क्रय की थीह। उपरोक्त विवादित भूमि गत खसरा नंबर 625 हाल खसरा नंबर 711 ग्राम टोडी में स्थित है। उपरोक्त भूमि का पट्टा तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा स्व रघुनाथसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी गुढा गौड़जी के नाम से दिनांक 13.9.1972 को जारी

अत। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.12.2016 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा राजकीय भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का पट्टा तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा स्व रघुनाथसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी गुढा गौड़जी के नाम से दिनांक 13.9.1972 को जारी किया गया था। उपरोक्त स्वयं के स्वामित्व व पट्टे शुदा भूमि पर रघुनाथसिंह की मृत्यु के पश्चात उसके वारीसान उपरोक्त विवादित भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे । अपीलान्ट उक्त भूमि रघुनाथसिंह के वारीसाान से क्रय करने के पश्चात काबिज हो गया तथा उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह साबित है कि अपीलांट की विधिवत तामील के पश्चात अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है, उसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब के लिए समय चाहा गया है जो दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई पट्टा प्रस्तुत नहीं किया और ना ही अपीलांट ने अपील के दौरान वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा जारी पट्टा होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया ऐसी स्थिति में उनके मौखिक कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होने के कारण अपीलांट के मौखिक कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी का निर्णय दिनांक 20.12.2016 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू